तत्काल

आरटीआई मामला

संख्या ए-49012/8/2023/आरटीआई/1027-29

भारत सरकार

केंद्रीय जल आयोग

आरटीआई सेल

***

5वीं मंजिल (एन), सीडब्ल्यूसी
सेवा भवन, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 07.07.2023

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई आवेदन **श्री गोपाल प्रसाद, मकान सं. 210, गली नं0 3, पाल मुहल्ला, मोहन बाबा मंदिर के नजदीक, मंडावली, दिल्ली–110032।**

उपरोक्त आरटीआई आवेदन को RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आपको अग्रेषित किया जाता है।

आपसे अनुरोध है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को सीधे वांछित जानकारी प्रदान करें। यदि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी किसी अन्य सीपीआईओ या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग (विभागों), **से संबंधित है तो यह आवेदन उन्हे** आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

अनुलग्नक:- उपरोक्त के अनुसार

आशीष 07/07/2023

(आशीष कुमार)
उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी
दूरभाष: 011-2958 3304

सेवा में,

1. निर्देशक और सीपीआईओ, (जल आयोजन एंव परियोजना समन्व्य निदेशालय**),** केन्द्रीय जल आयोग**,** तीसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली(e-mail-wppcdte@nic.in)
2. उप निदेशक–2 और सीपीआईओ, (नदी प्रबन्ध समन्व्य निदेशालय**),** केन्द्रीय जल आयोग**,** दूसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

श्री गोपाल प्रसाद, मकान सं. 210, गली नं0 3, पाल मुहल्ला, मोहन बाबा मंदिर के नजदीक, मंडावली, दिल्ली–110032।

/84907/2023

तत्काल/आर. टी. आई. / स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. I-11011/25/2022-समन्वय
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
समन्वय अनुभाग
***

कमरा सं. 7, खंड 'बी', भूतल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक – 14.06.2023

सेवा में,

श्री गोपाल प्रसाद,
मकान सं.- 210 , गली नं.-3, पाल मुहल्ला,
मोहन बाबा मंदिर के नजदीक , मंडावली,
दिल्ली-110032
मोबाइल सं.: 99 10341785ए 8178949704
ईमेल:gopalrti7@gmail.com

विषय : जन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना। ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपके दिनांक 05.06.2023 का आरटीआई आवेदन, जो इस विभाग में दिनांक 13.06.2023 को आईपीओ सं. (57F 545058) के साथ प्राप्त हुआ है, के संदर्भ में यह कहना है कि आपका आवेदन इस विभाग के आरटीआई वेब पोर्टल पर पंजीकरण सं. MOWRC/R/P/23/00067 तथा MOWRC/R/P/23/00068 के तहत दिनांक 14.06.2023 को अपलोड कर दिया गया है और इसे विभाग के तहत संबंधित सीपीआईओ और अन्य पीआईओ को अग्रेषित किया जा रहा है ।

संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आरटीआई अधिनियम , 2005 के अनुरूप अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा सकते हैं ।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

Signed by Shambhu Nath Pal
Date: 14-06-2023 13:54:20
Reason: Approved

(शम्भू नाथ पाल)
नोडल केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव (भारत सरकार)
दूरभाष: 011-23074033
ईमेल: uscoord-mowr@nic.in

06/07/2023
SO/ASO

/84907/2023

<u>प्रति प्रेषित :</u>

1. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, आरटीआई सेल, केंद्रीय जल आयोग, पांचवी मंजिल (एन), सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
2. अनुभाग अधिकारी (एनडब्ल्यूएम) एवं सीपीआईओ, राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा सं. 223, बी-3, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3. नोडल अधिकारी एवं सीपीआईओ, कमरा सं. 224, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल भवन, एनएच–IV, फरीदाबाद

DEPARTMENT OF POSTS
O/O THE SENIOR POSTMASTER INDRAPRASTHA HEAD POST OFFICE
NEW DELHI-110002

To

The CPIO
Department of Water resource
Ministry of Hydro Power
Rafi Marg
New Delhi -110001

No:- IPHO/RTI Act- 25 / 2023-24 Dated at New Delhi-110002 the 07.06.2023

Sub:- Regarding information under RTI Act-2005 Case of Sh. Gopal Prasad .

The RTI application dated 05.06.2023 received in this office on 05.06.2023 is forwarded herewith for further necessary action as the information sought by the applicant is related to your office. The payment of application fee has been made in the post office under IPO No 57F 545058 Dated 20.03.2023 for Rs 10/- is enclosed.

D.A.
1. Application.
2. Rs. 10/ IPO no 57F 545058

Senior Postmaster
Indraprastha Head Post Office
New Delhi-110002

Copy to –

1 - Sh. Gopal Prasad ,H.No.-210 ,Gali No.-3, Pal Mohalla, Near Mohan Baba Mandir, Mandavali, Delhi-110032 for information.

13/06/2023
US(Coord)
13/6/2023

नव टका   दश टाका   ४५ रुपिया   ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ   ...   ...   दहा रुपये   ...   दस रुपये   दस रूपयकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

20 3 23

PAY TO लेखा अधिकारी
जल संसाधन विभाग को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
नई दिल्ली
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख सकता है।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE:

गोपाल प्रसाद
मकान नं०-210, गली नं०-3 पाल मोहल्ला।
निकट मोहनबाबा मंदिर
मंडावली, दिल्ली-110092.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

Sumit
20/3/23

57F 545058

IPHO/RTI - 25/2023-24

दिनांक: 05.06.2023

प्रेषक : गोपाल प्रसाद (आरटीआई सेवक)
मकान नं.-210, गली नं. -3,
पाल मोहल्ला, निकट मोहनबाबा मंदिर,
मंडावली, दिल्ली-110092
मोबाईल: 9910341785,8178949704
ईमेल: gopalrti7@gmail.com

प्रवर डाकपाल / Sr. Post Master
प्राप्ति/RECEIVED
05 JUN 2023
Indraprastha H.P.O. N.D.-110002

सेवा में,

1. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी,
जल संसाधन विभाग
जल शक्ति मंत्रालय,
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

2. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी,
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल भवन,
NH-IV, फरीदाबाद-121001
Ph:0129-2477101-2
Email:cgwb@nic.in, tschmn-cgwb@nic.in

3. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
नीति आयोग
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

4. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
विधि एवं न्याय मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) एवं 6(3) के तहत जानकारी की मांग

महोदय,

जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, नीति आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) एवं 6(3) के तहत जलाधिकार से संबंधित निम्नलिखित जानकारी देने का कष्ट करें :-

1.पानी के वस्तु अथवा जीवन तत्व होने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

2.यदि पानी जीवनतत्व है तो जीवनतत्व का व्यवसाय होने की वैधानिकता के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

3.जिस पृथ्वी का तीन चौथाई हिस्सा पानी से है, वहां पर पानी का अभाव होने अथवा नहीं होने के स्पष्ट जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

4.जब पानी का निर्माण नहीं किया जा सकता है तो सरकार, कंपनियां, संस्थाएं पानी जिस अधिकार से जिस कानून के तहत बेच रही है, के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।(जबकि उसने पानी का निर्माण ही नहीं किया तो उसका व्यवसाय का आधार सहित)

5. जिस प्रकृति ने पानी का निर्माण किया, वही पानी का मालिक हो सकता है। प्रकृति के पांचों तत्व- पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से ही सृष्टि का निर्माण होने एवं प्रकृति में इन पांचों तत्वों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण, इन पांचों तत्वों को उसी प्रारूप में ग्रहण करने की स्थिति में प्रकृति के बजाय सरकार या कंपनियों को पानी का मालिकाना हक और अधिकार की संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

6. पानी का मालिक प्रकृति है और सरकार एक न्यासी अथवा ट्रस्टी है जिसका कार्य होता है - " जिस उद्देश्य के लिए न्यास का गठन हुआ है उसे प्राप्त करना।" प्रकृति ने प्राणी मात्र के लिए पानी बनाया और प्रकृति ने अपने संविधान में यह व्यवस्था दी कि यह जो पानी है, यह प्राणी मात्र के लिए है और मेरे बाद प्राणी मात्र ही इसके मालिक अथवा अधिकारी होंगे। जिस जनता ने अपने लिए जिस सरकार का गठन किया उसका प्रथम दायित्व है कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए एक न्यासी के रूप में हर प्राणी मात्र को पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसकी गारंटी देने हेतु वर्तमान केंद्र सरकार के समस्त प्रयास एवं वर्तमान स्थिति के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद -21 " जीवन का अधिकार" में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरकार को प्राणी मात्र के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। न्यायपालिका के अनेक फैसले से इस बात की पुष्टि होने के बावजूद आज तक देश के अधिकांश नागरिक एवं अन्य प्राणी के इस मूलभूत अधिकार से वंचित होने के कारण के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

8. पहले पानी के संरक्षण हेतु कुएं, तालाब, बावली आदि होते थे, जो वर्षा के जल का संरक्षण प्राकृतिक तरीके से करते थे, परंतु आज अंधाधुध औद्योगीकरण व व्यवसायीकरण के कारण इन सबको समाप्त कर देने से वर्षा का जल बहकर वापस समुद्र में जाने से रोकने एवं जलाभाव की आपूर्ति हेतु जल संचयन एवं संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2014 से 2023 की अवधि में केंद्र सरकार के समस्त प्रयासों,वर्तमान स्थिति एवं इससे संबंधित समस्त रिपोर्टों के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

9. केंद्र सरकार द्वारा मूलभूत दायित्वों का निर्वाह करते हुए नियमानुसार प्राणी मात्र को स्वच्छ साफ व पीने योग्य पानी निशुल्क उपलब्ध कराने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

10.निर्बाध जलापूर्ति एवं सभी को जलापूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने में पानी का अभाव होने अथवा जल प्रबंधन की कमी होने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

11.पेड़ पौधे,पशु-पक्षी जब पानी खरीद ही नहीं सकते हैं तो ऐसे ही स्थिति में जल की अनुपलब्धता के कारण उसकी मृत्यु होने पर सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने एवं इसके निर्वहन के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

12. प्राणदायी ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन देने वाले पेड़-पौधे को पानी आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना पानी का व्यवसाय करना अपराध होने अथवा नहीं होने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

13. राष्ट्रीय जल नीति में जलाधिकार, पानी के व्यवसायीकरण एवं निजीकरण के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, नीति आयोग,विधि एवं न्याय मंत्रालय आदि नीति निर्धारकों द्वारा तय की गई नीति, नियमावली के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

14. प्रमुख गैर सरकारी संस्था "जलाधिकार फाउंडेशन" द्वारा वर्ष 2012 से 2023 की अवधि में पानी से संबंधित मुद्दों पर जन जागरण (सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता, समूह में चर्चा, नुक्कड़ नाटक, पदयात्रा, विचार गोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, जल उपवास, जल अदालते आदि) का संपूर्ण देश में समाज के विभिन्न वर्गों (महाविद्यालय के छात्र,प्राध्यापक, आरडब्ल्यूए निवासी, अधिवक्ता आदि) एवं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 125 स्कूलों के लगभग 15000 विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों द्वारा "मेरा पानी_ मेरा पोस्टकार्ड" अभियान चलाकर समाज को जागृत करने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजे गए ज्ञापन के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, नीति आयोग,विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

इस आरटीआई आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या/नकद रसीद संख्या:57F545058संलग्न है। कृपया निर्धारित समयावधि में हिंदी में ही (गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधिनियम के अनुसार) जानकारी देने का कष्ट करें। जो जानकारी आपके विभाग से संबंधित ना हो उसे RTI एक्ट की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर उसकी सूचनार्थ प्रति मुझे भी भेजने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी-

Gopal Prasad

(गोपाल प्रसाद)

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 05.06.2023